बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	19/10/20	कोरोना ... कार्यवाही हेतु दिना 5/11/20 को पेश हो
	5/11/20	प्र. का. उप. प्रकाश पेश हमराह मय दस्तावेजात पेश हुये (पत्र) प्रारम्भिक कार्यवाही किया गया। साथ ही अन्य पक्षकारान के उपस्थिति की आवश्यकता बताई जिससे आवश्यक प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 R. T. A. व सपठित धारा 151 CPC का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम कालाडेरा तहसील चौमू के खसरा नं. 4088/2116, 2118/5, 2117/2, 4085/21.. भूमि है जो प्रार्थी की स्वामित्व की भूमि है प्रार्थीगण की काश्त की भूमि को पहुंचने के लिये खसरा 4135/2131 व ख. नं. 4087/2116 से होकर आने और रास्ता खसरा नम्बर 4086/2116 से होते हुये ख. नं. 4049/213 से ... रास्ते के जरिये आवागमन को प्रार्थीगण की काश्त की भूमि तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। इसके सम्बन्ध में प्रार्थी संख्या 1 ... खातेदारी ...

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2020.12.14 17:29:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

फर्द अहकाम

हीरालाल वगैरा **बनाम** भवेरी देवी वगैरा

न्यायालय

संख्या 54/2020 T.I

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	आपकी सहमति से मौके पर रास्ता कायम किया गया था उक्त रास्ते को बन्द करने की धमकी दी जा रही है। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि के मार्ग जाने पर कृषि कार्य हेतु अप्रार्थीगण आराजी ख.नं. 4135/2131, 4082/2116 से होकर 12 फीट चौड़ा रास्ता उपलब्ध करवाये जाने के दौरान प्रस्तावित रास्ते पर किसी प्रकार का कोई पुख्ता स्थाई निर्माण नहीं करे, इस बाबत अप्रार्थीगण को जरिये स्थगन पाबन्द किया जावे। जिसकी पालना अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा सुनिश्चित करवाये जाने के आदेश प्रदान करें। प्रा.पत्र स्थगन का अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण द्वारा मिथ्या अप्रार्थीया संख्या 1 से नाजायज लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से झूठे तथ्यों पर उक्त प्रार्थना-पत्र स्थगन के साथ प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा प्रार्थीगण माननीय न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आये हैं जिस कारण अप्रार्थीगण का प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्थगन ... योग्य है अप्रार्थी...	

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2020.12.14 17:29:04 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

हीरालाल वो. बनाम संपती देवी वगै.

नाम न्यायालय

केस संख्या 54/2020 TI

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		की खातेदारी भूमि रूप से पचपदरा दुर्गापुर रा.नं. रिकार्ड अनुसार सांयोगिक प्रयोजनार्थ भूमि है । नगरीय क्षेत्र के समीपवर्ती क्र.२ द्वारा विधि अनुसार दिनांक 17/4/2020 को सीमाज्ञान भी हो चुका है तथा कानूनन औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि पर क्षेत्र के प्रयोजनार्थ भूमि पर क्षेत्राधिकार माननीय अनुपयोगी का क्षेत्राधिकार नहीं है प्रार्थीगण न्यायालय को प्राप्त नहीं की जोत के पास रास्ते की दीप जोत तक आवागमन हेतु जवाब प्रार्थना-पत्र के वर्णितानुसार मौके व रिकार्ड अनुसार वैकल्पिक रास्ता विद्यमान है तथा कानूनन वैकल्पिक रास्ता विद्यमान होने के कारण प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना-पत्र के वर्णितानुसार कोई रास्ता प्राप्त करने का विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र मय हर्जा खर्चा निरस्त करने योग्य है अधिवक्ता प्रार्थी के प्रा.पत्र के वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया गया है कि प्रार्थी के द्वारा स्थगन प्रा.पत्र के साथ प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 251 A का पेश किया गया है उक्त प्रा.पत्र के [illegible] मिलने वाले [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2020.12.14 17:29:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

फर्द अहकाम

हीरालाल बनाम मोपरी डेपी प्र.आ.

(न्)यायालय

(सं)ख्या 54/020 TZ

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	पुख्ता निर्णय नहीं होने तक तक अप्रार्थी को जरिये स्थगन पाबन्द किया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने जवाब के बीनी तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया है कि प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता है प्रार्थी के द्वारा parking के दौरान अप्रार्थी के हिस्से की भूमि में रास्ता नहीं चाहा गया है प्रार्थी के द्वारा निजी खसरा नम्बर के द्वारा चाहा गया है वह रास्ता औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि से चाहा गया है जिसका कानूनी अधिकार इस दस्तावेज का नहीं है प्रार्थी न्यायालय को नहीं का प्रार्थना-पत्र स्थगन का खारीज करमाया जावे। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर ध्यान पूर्वक मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया अप्रार्थी के द्वारा उक्त विवादित भूमि प्रार्थी को जरिये विक्रय-पत्र क्रय की गई थी तत्पश्चात प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी का तकासमा करवाया गया सम्पूर्ण तकासमा के पश्चात ... रखवाया गया है प्रार्थी के द्वारा चाहा ...	

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2020.12.14 17:29:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

फर्द अहकाम

हीरामणवगै० बनाम भंवरी देवी वगै०

नाम न्यायालय

केस संख्या 54/020

I.I.

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है एवं प्रार्थी के पक्ष मे सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति साबित नहीं होती है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र बाबत स्थगन अन्तर्गत धारा 212 R.T.A.C. खारीज किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र बाबत स्थगन अन्तर्गत धारा 212 R.T.A.C. का खारीज किया जाता है पत्रावली पेशी हाजिर होकर दर्ज नम्बर रेगु. की जावे तथा दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2020.12.14 17:29:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner